HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN
BENCH AT JAIPUR

S.B. Criminal Miscellaneous 2nd Bail Application No. 6182/2026

Kamal Awana @ Kamal Singh Gurjar S/o Ramdhan Awana, R/o Kouleshvar Kalan, Police Station Sethal, District Dausa (Raj.) (Presently Posted As Librarian Grade III Govt. Sr. Sec. School, Kumha, Sewar, Bharatpur, Rajasthan) (Presently Confined At Central Jail, Jaipur).

----Accused-Petitioner

Versus

The State Of Rajasthan, Through Pp

----Respondent

For Petitioner(s)	:	Mr. Rajesh Kumar Sharma, Adv. Ms. Kamini Pareek, Adv.
For Respondent(s)	:	Mr. Onkar Singh Rajpurohit, PP

HON'BLE MR. JUSTICE CHANDRA PRAKASH SHRIMALI

Order

07/05/2026

प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से अपनी नियमित जमानत हेतु यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 483 भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (धारा 439 दं.प्र.सं.) पुलिस थाना स्पेशल पुलिस स्टेशन (एसओजी), जिला एटीएस एवं एसओजी में दर्ज प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 84/2024 अपराध अन्तर्गत धारा 419, 420, 467, 468, 471 व 120–बी भारतीय दण्ड संहिता एवं अंतर्गत धारा 3, 4 व 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन का प्रयोग) अधिनियम, 1992 में पेश किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त का प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र इस न्यायालय द्वारा आदेश दिनांक 20.02.2026 के माध्यम से विस्तृत आदेश कर खारिज किया गया है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अभिभाषक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त निर्दोष है, प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 30.10.2025 से

अभिरक्षा में चल रहा है। विद्वान विचारण न्यायालय ने दिनांक 05.05.2026 के आदेश में प्रार्थी/अभियुक्त को अंतर्गत धारा 3, 4 व 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन का प्रयोग) अधिनियम के अंतर्गत उन्मोचित कर दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 व 120–बी भारतीय दण्ड संहिता का आरोप विरचित किया गया है। प्रार्थी/अभियुक्त की कक्षा चतुर्थ की मार्कशीट को कलेक्टर द्वारा परीक्षित किया गया है उसमें उसकी जन्मतिथि दिनांक 01.02.1966 बताई गई है, जो सही है। प्रकरण के विचारण में समय लगेगा, अतः प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर उसे जमानत पर रिहा किया जावे।

विद्वान लोक अभियोजक का बहस के दौरान तर्क रहा है कि प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध आरोपित अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए यह जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किया जावे।

मैंने उभय पक्षों के तर्कों पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

वर्तमान प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त पर विद्वान अतिरिक्त न्यायिक मजिस्ट्रेट संख्या 3 जयपुर महानगर द्वितीय द्वारा पारित आदेश दिनांक 05.05.2026 में प्रार्थी/अभियुक्त के विरुद्ध धारा 420, 467, 468, 471 व 120–बी भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत आरोप विरचित हो चुके हैं और अंतर्गत धारा 3, 4 व 6 राजस्थान सार्वजनिक परीक्षा (अनुचित साधन का प्रयोग) अधिनियम, 1992 में व धारा 419 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत प्रार्थी/अभियुक्त को उन्मोचित किया गया है।

अतः प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, प्रस्तुत तर्कों तथा प्रार्थी/अभियुक्त की अभिरक्षा अवधि को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के गुण–दोषों पर टिप्पणी किये बिना प्रार्थी/अभियुक्त को जमानत का लाभ दिया जाना उचित प्रतीत होता है।

परिणामतः प्रार्थी/अभियुक्त **कमल अवाना उर्फ कमल सिंह गुर्जर पुत्र श्री रामधन अवाना** की ओर से प्रस्तुत यह द्वितीय जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार

किया जाता है और आदेश दिया जाता है कि यदि प्रार्थी इस मामले में विद्वान विचारण न्यायालय के संतोषप्रद, उनके न्यायालय में नियत तिथियों पर एवं जब भी उसे तलब किया जावे, उपस्थिति हेतु एक लाख रूपये का व्यक्तिगत बंधपत्र व पचास–पचास हजार रूपये की दो सुदृढ़ एवं विश्वसनीय प्रतिभूतियां प्रस्तुत करे तथा उसकी किसी अन्य प्रकरण में आवश्यकता न हो तो उसे हस्तगत प्रकरण में जमानत पर रिहा कर दिया जावे।

(CHANDRA PRAKASH SHRIMALI),J

NIKITA /4